**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2202**

**दिनांक 15 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न**

**किसान ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा**

**2202. श्रीमती हिमाद्री सिंह:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसान ऋण योजना के अंतर्गत पशु प्रजनकों के लिए निर्धारित वर्तमान ऋण सीमा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि का मध्य प्रदेश राज्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 04 फरवरी, 2019 के अपने परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.एफ़एसडी.बीसी.12/05.05.010/2018-19 के माध्यम से पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे किसानों को ब्याज सबवेंशन के लाभ के साथ-साथ उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा का विस्तार किया है, जिसमें पशुधन किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह, जिसमें काश्तकार किसान शामिल हैं, जिनके पास स्वयं का/किराए पर/पट्टे पर शेड हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। केसीसी बचत-सह-ऋण उत्पाद है, जहां राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा तय किए गए वित्त के पैमाने (एसओएफ) के आधार पर ऋण सीमा की गणना की जाती है। प्रचलित पालन पद्धतियों और उत्पादन कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आवर्ती खर्चों पर उचित विचार करने के बाद जिले में किए जा रहे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए एसओएफ प्रति पशु/ पक्षी आधार पर तय किया जा सकता है। केसीसी के तहत व्यक्तिगत किसान के लिए वर्तमान अधिकतम ऋण सीमा 3.00 लाख रुपये है।

(ख) आरबीआई और नाबार्ड से एकत्रित सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक) के दौरान बैंकों द्वारा पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए 16,105.40 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 278.66 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में 32,169 लाभार्थियों सहित 13,76,423 नए लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

*********